



प्रेस नोट

थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा 06 गौकश अभियुक्तों को एक गौवंशीय पशु, गौवध से सम्बन्धित उपकरणों/अवैध शस्त्रों व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं मोबाइल सहित पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

जनपद पीलीभीत में अपराध, अपराधियों एवं जनपद में गौकशी जैसे गम्भीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली महोदय व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, महोदय द्वारा अपराध तथा अपराधियों तथा गौकशी जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु समय समय पर दिये गये आदेशो-निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी कर प्रभावी कार्यवाही करने के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व व निर्देशन में आज दिनांक 18.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना जहानाबाद पुलिस टीम द्वारा समय करीब 02.40 बजे सुबह, अफसरिया पुल से छितौनिया होते हुए ललौरीखेड़ा जानेवाले मार्ग के जंगल में ईंटभट्टे से आगे ईख के खेत के पास चकरोड के किनारे से 06 गौकश अभियुक्तों को 01 दो वर्षीय गौवंशीय जिन्दा बछड़ा रंग सफेद व गौवध से सम्बन्धित उपकरण एक चापड़, लोहा छुरी 02, एक रेती (धार रखने वाली), एक कुल्हाड़ी, लकड़ी का गट्टा, प्लास्टिक के 03 कट्टे, रस्सीयाँ व 02 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर तथा मौके पर पड़े मिले 03 मोबाइल फोन 1. रेडमी एन्ड्रॉयड 2. एक कीपैड फोन LYF,,3. रियलमी मोबाइल के साथ जुर्म धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त (1) इमरान पुत्र बहार अहमद नि0 मो0 कुरैशियान तालगांव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर (2) सज्जाद पुत्र एजाज खाँ नि0 ग्राम परतापुर जीवन सहाय थाना इज्जतनगर जनपद बरेली द्वारा पुलिस टीम पर नाजायज तमन्चे 315 बोर से जानलेवा हमला करते हुये फायरिंग की गयी। अभियुक्तगण के द्वारा की गयी फायरिंग में एक गोली प्र0नि0 श्री उमेश सिंह सोलंकी के सामने से पहनी बुलैट प्रुफ जैकेट की टीन में लगी। पुलिस टीम पर फायरिंग होता देख बचाव में पुलिस टीम द्वारा पोजिशन सम्भालते हुये पुलिस टीम में शामिल प्रभारी निरीक्षक उमेश सिंह सोलंकी द्वारा सरकारी पिस्टल से व अपराध निरीक्षक श्री कमलेश कुमार मिश्र द्वारा सरकारी पिस्टल से तथा व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार द्वारा सरकारी पिस्टल से जबाबी फायरिंग की गयी। पुलिस टीम की तरफ से की गयी जबाबी फायरिंग में एक गोली अभियुक्त इमरान पुत्र बहार अहमद नि0 ग्राम कुरैशियान तालगांव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर के बाये पैर में घुटने के नीचे लगी। फायरिंग के दौरान जहानाबाद पुलिस टीम द्वारा मौका पाकर अधिक पुलिस बल हेतु SHO सुनगढी, SO अमरिया व न्यूरिया पुलिस को सूचित कर मौके पर बुलाया गया तथा मौका देख सिखलाये गये तरीके से सावधानी पूर्वक सभी 06 अभियुक्तगण (1) इमरान पुत्र बहार अहमद नि0 मो0 कुरैशियान तालगांव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर (2) सज्जाद पुत्र एजाज खाँ नि0 ग्राम परतापुर जीवन सहाय थाना इज्जतनगर जनपद बरेली (3). गुड्डू उर्फ जमील पुत्र मजीद नि0 ग्रातम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत, (4). शफी अहमद पुत्र गुड्डू उर्फ जमील नि0 ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत, (5). इरफान पुत्र अमीर अहमद नि0 मो0 कुरैशियान कस्बा व थाना जहानाबाद पीलीभीत (6) बड़े उर्फ शरीफ पुत्र सलीम नि0 ग्राम रशियाखानपुर थाना बीसलपुर पीलीभीत को घेर घार कर पकड़ लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद उमेश सिंह सोलंकी द्वारा वापसी पर मु0अ0सं0 361/2023 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तारशुदा अभि0गण 1. इमरान, 2. सज्जाद, 3. गुड्डू उर्फ जमील, 4. इरफान, 5. बड़े उर्फ शरीफ, 6. शफी अहमद उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा मुठभेड़ के दौरान घायल अभियुक्त इमरान उपरोक्त को उचित इलाज दिलवाया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1. इमरान पुत्र बहार अहमद नि0 मो0 कुरैशियान तालगांव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
2. सज्जाद पुत्र एजाज खाँ नि0 ग्राम परतापुर जीवन सहाय थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
3. गुड्डू उर्फ जमील पुत्र मजीद नि0 ग्रातम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत

4. शफी अहमद पुत्र गुड्डू उर्फ जमील नि0 ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत,
5. इरफान पुत्र अमीर अहमद नि0 मो0 कुरैशियान कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत
6. बड़े उर्फ शरीफ पुत्र सलीम नि0 ग्राम रसियाखानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत

बरामदगी-

दो वर्षीय गौवंशीय जिन्दा बछड़ा रंग सफेद , दो वर्षीय गौवंशीय जिन्दा बछड़ा रंग सफेद गौवध से सम्बन्धित उपकरण एक चापड़, लोहा छुरी 02, एक रेती (धार रखने वाली), एक कुल्हाड़ी, लकड़ी का गट्टा, प्लास्टिक के 03 कट्टे, रस्सीयाँ व 02 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर तथा मौके पर पड़े मिले 03 मोबाइल फोन 1. रेडमी एन्ड्रायड 2. एक कीपैड फोन LYF,,3. रियलमी मोबाईल,

अपराधिक इतिहास-

1. इमरान पुत्र बहार अहमद नि0 ग्रातम तालगांव निगोही जनपद शाहजहाँपुर
मु0 अ0 स0 245/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत
मु0अ0स0 360/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 420 भादवि थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
मु0अ0स0 524/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
मु0अ0सं0 331/2015 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
मु0अ0सं0 427/2015 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
2. गुड्डू उर्फ जमील पुत्र मजीद कुरैशी नि0 ग्राम रसिया खानपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
मु0अ0स0 334/2017 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
3. सज्जाद पुत्र एजाज खाँ नि0 ग्राम परतापुर जीवन सहाय थाना इज्जतनगर जनपद बरेली
मु0अ0सं0 123/2020 धारा 188/269/279/307/427 भादवि थाना सेहरामऊ दक्षिण जिला शाहजाहँपुर
मु0अ0सं0 126/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेहरामऊ दक्षिण जिला शाहजाहँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद उमेश सिंह सोलंकी

अपराध निरीक्षक श्री कमलेश कुमार मिश्र

व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार

उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह राणा

उ0नि0 श्री कपिल कुमार

व0नि0 श्री अवधेश कुमार

हे0का0 जितेन्द्र सिंह

हे0का0 संजीव कुमार

का0 नितिन मलिक

का0 शिवाधर

का0 हरिओम

का0 हरीओम

का0 हिमांशू

का0चालक अमित कुमार

